

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास - खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई -3.50 किमी०) हेतु 0.874 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

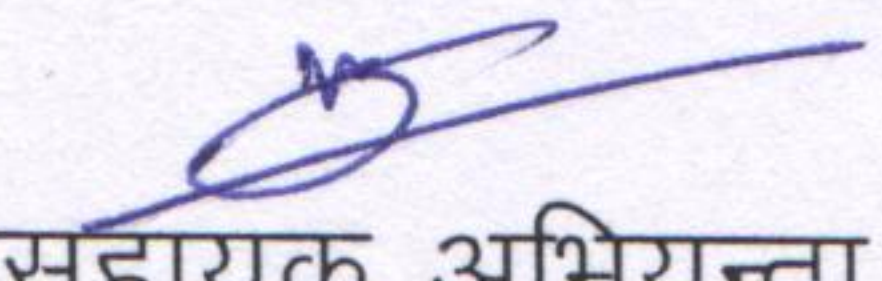
उक्त मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1426/(1)111(2)/16-02 (एम०एल०ए०)/2015 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा 5.00 किमी० लम्बाई हेतु रु० 82.38 लाख की प्राप्ति हुयी है। इस मार्ग का समरेखण 3.50 किमी० हेतु अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो०नि०वि० उत्तरकाशी के पत्रांक- 4317/732 सी०-6/2015 दिनांक 5.10.2016 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। प्रस्तावित समरेखण का भूगर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 29.08.2016 को करा लिया गया है। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या पृष्ठ संख्या पर संलग्न किया गया है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित कल्याणी-हरेती मोटर मार्ग से लोरयाणा बस्ती तक निर्मित किया जाना है।

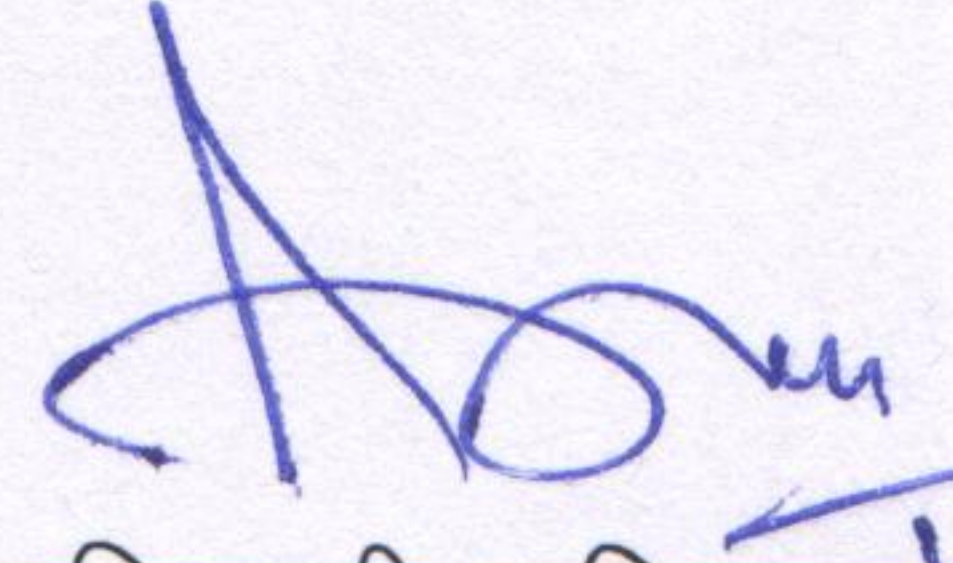
जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास - खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.50 किमी० है जिसमें 760.00 मी० लम्बाई में सिविल सोयम भूमि पडती है मार्ग पर कहीं भी आरक्षित वन भूमि नहीं पडती है। मार्ग का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग द्वारा 15.11.2016 को किया जा चुका है। जिसमे लगभग 15.00 चीड के वृक्ष आ रहें है मोटर मार्ग निर्माण हेतु उक्त वृक्षो को पातन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त हरेती जिनेथ व पैथर के ग्रामवासियो को यातायात की सुविधा मिलेगी तथा गाँव उत्तरकाशी मुख्यालय से जुड जाएंगे।।

मोटर मार्ग निर्माण कार्य में पड़ने वाली 0.874 है० सिविल वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

1- डम्पिंग हेतु सिविल वन भूमि -	0.190 हे०
2- मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि -	0.684 हे०
कुल योग	- 0.874 हे०

उक्त सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के आधार पर गठित किया गया है। अतः मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.874 है० सिविल वनभूमि लो०नि०वि०, उत्तरकाशी के पक्ष में हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी